न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 37/2023

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. अशोक कुमार पुत्र नेमीचंद जाति जैन निवासी जूना किराडू मार्ग, बाडमेर (मैसर्स संकलेचा ब्रदर्स आई–7 कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का विक्रेता व मालिक)
2. यशवंत भाटी पुत्र ज्ञानेश्वर जी भाटी निवासी पटेल समाज के पास, इस्वनियम मण्डावड, विसावदर, जुनागढ, 170 ए भोपत भवन अग्रवाल टॉवर की गली फर्स्ट बी मार्ग सरदारपुरा, जोधपुर (मैसर्स सांवरिया ईंटरनेशनल, ई–2–10 कृषि मण्डी मण्डोर, जोधपुर का मालिक)
3. संतोश कुमार भार्मा पुत्र गोकुल दास भार्मा निवासी 97–98 जमुना एन्क्लेव भोलाई मुहम्मदपुर रामबाग यमुना ब्रिज आगरा, उतरप्रदेश (मैसर्स आर. एम. डेयरी प्रोडक्ट्स, एलएलपी (राम सन्स फूड लि.) खसरा नंबर 344–345 गोण्डा ईगलास रोड़, गांव सलेमपुर ईगलास जिला अलीगढ़, उतरप्रदेश का नॉमिनी)
4. मैसर्स आर.एम. डेयरी प्रोडक्ट्स, एलएलपी (राम सन्स फूड लि.) खसरा नंबर 344–345 गोण्डा ईगलास रोड़, गांव सलेमपुर ईगलास जिला अलीगढ़, उतरप्रदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2. श्री भूरचंद जांगिड, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 12.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स संकलेचा ब्रदर्स आई–7 कृषि उपज मण्डी, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **19.10.2022** को खाद्य पदार्थ **घी (ब्राण्ड राम सन्स)** 500 मिली. के 200 गत्ता पैकिंग पैकेट्स विक्रय हेतु पड़े थे, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **घी (ब्राण्ड राम सन्स)** में से 500–500 मिलीलीटर के 2 लीटर वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1754** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (ब्राण्ड राम सन्स)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (ब्राण्ड राम सन्स)** का नमूना **अवमानक** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना–पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **02.05.2023** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में यह पेश किया कि धारा 66 एफएसएस एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत किसी कंपनी द्वारा एफ एस एस एक्ट के अंतर्गत किये गए अपराध के लिए कंपनी के कारोबार के संचालक का सर्ध साधक एंव उसके प्रति उतरदायी व्यक्ति एवं कंपनी दोनों जिम्मेवार होते हैं। नमूना घी आर एम डेयरी प्रोडेक्टस का लिया था, जिसका निर्माण मैसर्स आर एम डेयरी प्रोडेक्टस ने किया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माण आर एम डेयरी प्रोडेक्टस को प्रकरण में अभियुक्त बनाया है। जबकि कंपनी द्वारा सरकार के समस्त नियमों एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अनुदेशकों की पालना करने के बाद ही उक्त घी का निर्माण किया जाता है तथा उसकी सेंपलिंग लेने के बाद ही सरकार द्वारा उसको बाजार में बेचने हेतु अधिकृत होने पर ही भिजवाया जाता है। इस प्रकार विप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से सरकारी नियमों का उल्लंघन नही किया गया है। अतः विप्रार्थीगण के विरुद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **02.05.2023** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार **Polansky value** का मानक स्तर 0.5 – 2.0 के मुकाबले **5.93** पाया गया है तथा **Iodine Value (Wij's method)** का मानक स्तर 25-38 के मुकाबले **17.16** पाया गया है, जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में यह पेश किया कि धारा 66 एफएसएस एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत किसी कंपनी द्वारा एफ एस एस एक्ट के अंतर्गत किये गए अपराध के लिए कंपनी के कारोबार के संचालक का सर्ध साधक एंव उसके प्रति उतरदायी व्यक्ति एवं कंपनी दोनों जिम्मेवार होते हैं। नमूना घी आर एम डेयरी प्रोडेक्टस का लिया था, जिसका निर्माण मैसर्स आर एम डेयरी प्रोडेक्टस ने किया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माण आर एम डेयरी प्रोडेक्टस को प्रकरण में अभियुक्त बनाया है। जबकि कंपनी द्वारा सरकार के समस्त नियमों एवं अनुदेशकों की पालना करने के बाद ही उक्त घी का निर्माण किया जाता है तथा उसकी सेंपलिंग लेने के बाद ही सरकार द्वारा उसको बाजार में बेचने हेतु अधिकृत होने पर ही भिजवाया जाता है। अतः विप्रार्थीगण के विरुद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें। इस प्रकार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 पर **रूपये 50,000/–** एवं अप्रार्थी संख्या 02 पर **रूपये 75,000/– एवं** अप्रार्थी संख्या 03 एवं 04 पर **रूपये 1,00,000/–**जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर